

भारत का तकनीकी वनियामक परदृश्य

यह संपादकीय 22/11/2024 को द हट्टि बिज़नेस लाइन में प्रकाशित "Big Tech's excesses" पर आधारित है। यह लेख मेटा पर CCI के ऐतिहासिक दंड को सामने लाता है, गोपनीयता और प्रतस्पर्द्धा कानून के प्रतच्छेदन पर बल देता है, जबकि उपयोगकर्त्ता अधिकारों में कमजोरियों को दूर करने के लिये एक व्यापक डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क की भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

प्रलिमिस के लिये:

[भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग](#), [यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन](#), [सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम- 2000](#), [IT नयिम- 2021](#), [RBI के डेटा स्थानीयकरण मानदंड](#), [उपभोक्ता संरक्षण अधनियम, 2019](#), [ई-कॉमर्स नयिम- 2020](#), [आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24](#)

मेन्स के लिये:

भारत में प्रौद्योगिकी वनियमन की वर्तमान स्थिति, भारत के तकनीकी परदृश्य में प्रमुख चुनौतियाँ

मेटा पर [भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग](#) का हालिया जुरमाना तकनीकी वनियमन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है, जो गोपनीयता और प्रतस्पर्द्धा कानून के प्रतच्छेदन को उजागर करता है। [व्हाट्सएप की वर्ष 2021 की वविदासपद गोपनीयता नीति](#) से प्रेरित [CCI का नरिणय](#), तकनीकी दगिगजों की ज़बरदस्ती डेटा-साझाकरण प्रथाओं और [बाज़ार प्रभुत्व के उनके दुरुपयोग को चुनौती देता है](#)। [यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन](#) के वपिरीत, जसिने व्हाट्सएप को यूरोप में इसी तरह की नीतियों को लागू करने से रोका, भारत [द्वारप्रयक्तगित डेटा संरक्षण कानून के वलिंबति कार्यान्वयन](#) ने उपयोगकर्त्ताओं को डेटा शोषण के प्रतसिंवेदनशील बना दिया है।

भारत में प्रौद्योगिकी वनियमन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **प्रतस्पर्द्धा वधिकि संरचना**
 - **प्रतस्पर्द्धा अधनियम, 2002:** भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) को डजिटिल बाज़ारों सहति प्रतस्पर्द्धा-वरीधी प्रथाओं की जाँच और वनियमन करने का अधिकार देता है।
 - **प्रमुख संशोधन (वर्ष 2023):** उच्च-मूल्य अधगिरहणों को प्रबंधति करने के लिये सौदा/लेन-देन मूल्य सीमा जोड़ी गई।
 - **उल्लेखनीय प्रवर्तन:** बाज़ार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिये गूगल और मेटा जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों के वरिद्ध कार्रवाई।
- **डजिटिल अवसंरचना वनियम**
 - **सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम- 2000:** डजिटिल लेन-देन, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध को नयित्त्रति करने के लिये प्राथमकि कानून के रूप में कार्य करता है।
 - **IT नयिम- 2021:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT सेवाओं और डजिटिल समाचार मीडिया को लक्षति करने वाले व्यापक नयिम:
 - सुदृढ़ शकियात नविवरण तंत्र को अनविवार्य बनाता है।
 - कंटेंट मॉडरेशन, टेकडाउन और यूज़र वेरफिकेशन के लिये दायतिव लागू करता है।
- **डेटा सुरक्षा संरचना**
 - IT अधनियम की धारा 43A और डजिटिल व्यक्तगित डेटा संरक्षण अधनियम, 2023 के तहत कार्य करता है।
- **क्षेत्र-वशिषिट वनियम**
 - बैंकिंग और वतित: फनिटेक कंपनियों और डजिटिल भुगतान प्लेटफॉर्मों के लिये RBI के दशिा-नरिदेश।
 - **RBI के डेटा स्थानीयकरण मानदंड** भुगतान डेटा के लिये स्थानीय भंडारण को अनविवार्य बनाते हैं।
 - दूरसंचार और OTT: ओवर-द-टॉप संचार सेवाओं के लिये **ट्राई के नयिम**।
 - यह डजिटिल अवसंरचना और इंटरनेट सेवाओं के लिये दूरसंचार मानदंड भी नरिधारति करता है।
 - वतितीय बाज़ार: स्वचालति व्यापार के लिये **SEBI के दशिा-नरिदेश**।
- **उपभोक्ता संरक्षण तंत्र**
 - **उपभोक्ता संरक्षण अधनियम, 2019:** समर्पति ई-कॉमर्स दशिा-नरिदेश शामिल करता है।
 - **ई-कॉमर्स नयिम- 2020:** डजिटिल बाज़ारों में अनुचति व्यापार प्रथाओं, धोखाधड़ी गतविधियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की कार्रवाई करने पर केंद्रति है।

- **प्रस्तावित कानून और नीतियाँ**
 - **डजिटल इंडिया अधिनियम:** IT अधिनियम, 2000 का प्रतस्थापन।
 - **राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क (ड्राफ्ट):** डेटा संप्रभुता और डजिटल गवर्नेंस पर केंद्रित है।

भारत के तकनीकी परदृश्य में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **डजिटल डिविड और अवसंरचना अंतराल:** भारत का डजिटल परिवर्तन शहरी-ग्रामीण अवसंरचना असमानता के कारण गंभीर रूप से बाधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी और डजिटल साक्षरता दोनों का अभाव है।
 - यह वभिजन विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों को प्रभावित करता है, जिससे दो-स्तरीय डजिटल नागरिकता का निर्माण होता है जो समावेशी विकास के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
 - **ट्राई की अक्टूबर- 2024 की रिपोर्ट** के अनुसार, जबकि शहरी टेलीघनत्व 132.94% है, ग्रामीण टेलीघनत्व केवल 59.05% पर बना हुआ है, जो स्पष्ट वभिजन को उजागर करता है।
- **खंडित वनियमन:** भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र कई एजेंसियों के क्षेत्राधिकारों के अतव्यापन के कारण वनियामक अक्षमताओं का सामना कर रहा है, जिससे व्यवसायों के लिये अनुपालन संबंधी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
 - उदाहरण के लिये, **डेटा संरक्षण, डजिटल कंटेंट और साइबर कानून** एकीकृत फ्रेमवर्क के बिना वभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शासित होते हैं।
 - यह खंडित दृष्टिकोण परचालन जटिलता को बढ़ाता है और नवाचार को बाधित करता है।
 - इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर परचालन करने वाले व्यवसायों को भारत के डेटा स्थानीयकरण आदेशों को यूरोपीय संघ के **GDPR जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है**, जिससे नरिबाध डेटा प्रवाह और अंतर-संचालन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा कमजोरियाँ:** डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन की कमी ने भारतीय नागरिकों को डेटा उल्लंघनों और गोपनीयता के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जो विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा एवं वित्त जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।
 - प्रौद्योगिकी कंपनियों पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना **आक्रामक डेटा संग्रहण प्रथाओं को लागू करके इस नयामक शून्यता का लाभ उठाना जारी रखे हुए हैं।**
 - CERT-In ने वर्ष 2022 में 13.91 लाख साइबर हमले की घटनाओं की सूचना दी, जो इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करती है।
- **प्लेटफॉर्म एकाधिकार और बाजार विकृति:** भारतीय डजिटल बाजारों में बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रभुत्व ने स्थानीय प्रतस्पर्द्धियों के लिये प्रवेश में बाधाएँ उत्पन्न कर दी हैं, जिससे नवाचार और उपभोक्ता की पसंद पर असर पड़ रहा है।
 - इन एकाधिकारवादी तकनीकों में बाजार पर प्रभुत्व के अलावा **पारस्थितिकी तंत्र में अवरोध और डेटा नयित्रण** भी शामिल है।
 - सत्ता का संकेंद्रण इन प्लेटफॉर्मों को व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये शर्तें तय करने की अनुमति देता है।
 - CCI ने व्हाट्सएप पर मेटा के साथ डेटा साझा करने पर पाँच वर्ष का प्रतबंध लगाया है और भारत में अवशिवास उल्लंघन के लिये **213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है**, जो बाजार एकाग्रता पर बढ़ती चिंता का उदाहरण है।
- **AI शासन और नैतिकता:** भारत द्वारा उचित नैतिक संरचना और नयामक नगिरानी के बिना AI प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने से एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह तथा गोपनीयता के उल्लंघन का जोखिम उत्पन्न होता है।
 - **AI प्रणालियों के लिये मानकीकृत परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं का अभाव** नागरिकों को स्वचालित नरिणय-नरिमाण पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील बना देता है।
 - भारत में वर्तमान में जनरेटिव AI, डीपफेक और AI से संबंधित अपराधों से निपटने के लिये विशिष्ट कानूनों का अभाव है जो लगातार बढ़ रहे हैं।
 - हाल ही में भारत के बंगलूर में दो व्यक्तियों से धोखेबाजों द्वारा बजिनेस लीडरएन.आर. नारायण मूर्ति और मुकेश अंबानी के डीपफेक वीडियो का प्रयोग करके लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई।
 - पीड़ितों को इन हेरफेर किये गए वीडियो के माध्यम से प्रचारित नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नविश करने के लिये लुभाया गया, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में डीपफेक के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला गया।
- **डजिटल कौशल का बेमेल होना:** प्रौद्योगिकी क्षेत्र को गंभीर प्रतभिा संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पारंपरिक शिक्षा तेजी से विकसित हो रही उद्योग की जरूरतों के साथ तालमेल रखने में विफल रही है।
 - कौशल अंतर विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रभावित करता है, जिससे भारत की डजिटल परिवर्तन यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है।
 - शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन के कारण बेरोजगारी तथा रकित पद दोनों उत्पन्न होते हैं।
 - **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** के अनुसार, भारत के केवल 51.25% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- **सीमा पार डेटा प्रवाह प्रतबंध** भारत की डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएँ, हालाँकि संप्रभुता के उद्देश्य से हैं, लेकिन परचालन अक्षमताओं और वैश्विक डजिटल सेवाओं की लागत में वृद्धि का कारण बनती हैं।
 - इन प्रतबंधों से वैश्विक डजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति प्रभावित होगी तथा भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के लिये सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
 - अनुपालन का बोझ विशेष रूप से छोटी कंपनियों और वैश्विक स्तर पर परचालन करने की इच्छुक स्टार्टअप्स को प्रभावित करता है।
 - फनिटेक कंपनियों आमतौर पर अपने परचालन लागत का लगभग 6-10% अनुपालन पर खर्च करती हैं।
- **सामग्री वनियमन संतुलन:** डजिटल सामग्री पर टेकडाउन अनुरोधों और प्लेटफॉर्म वनियमनों के माध्यम से बढ़ते सरकारी नयित्रण से डजिटल स्पेस में स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं नवाचार को खतरा है।
 - सामग्री मॉडरेशन दिशा-नरिदेशों में अस्पष्टता प्लेटफॉर्मों और कंटेंट नरिमाताओं के लिये अनश्चितता उत्पन्न करती है।

- नयामक संरचना प्रायः जीवंत डजिटल पारस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की तुलना में नयित्रण को प्राथमिकता देता है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022 की दूसरी छमाही (जुलाई से दसिंबर तक) में सोशल मीडिया दगिगज मेटा को उपयोगकर्त्ता डेटा के लयि 63,852 अनुरोध प्रस्तुत कयि जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।
- इसके अतरिकित, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अभवियकता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली गंभीर संवेधानिक चिताओं का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार द्वारा जारी तथय-जाँच इकाई (FCU) नयिमों के कार्यान्वयन को तब तक के लयि रोक दयि है जब तक कर्बोम्बे हाईकोर्ट आईटी नयिम संशोधन, 2023 को चुनौती देने वाले मामलों पर फैसला नहीं ले लेता।

तकनीकी वनियमन के संदर्भ में भारत अन्य देशों से क्या सीख सकता है?

- यूरोपीय संघ (EU): ईयू ने अपने नयामक संरचना, जैसे कसामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (GDPR) के माध्यम से महत्त्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव स्थापित कयि है।
 - इन वनियमों ने न केवल यूरोपीय संघ आधारित कंपनयिों को प्रभावित कयि है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डाला है, कई अंतरराष्ट्रीय कंपनयिों ने अपने परचालन में यूरोपीय संघ के मानकों को अपनाया है, जसि "बुरसेल्स इफेक्ट" के नाम से जाना जाता है।
- ऑस्ट्रेलिया-समाचार मीडिया सौदाकारी संहति: प्लेटफॉर्म-मीडिया संबंधों के प्रती ऑस्ट्रेलिया के अभनव दृष्टिकोण ने तकनीकी दगिगजों को समाचार संगठनों के साथ उचित मुआवजे पर समझौता करने के लयि मजबूर कयि।
- दक्षिण कोरिया - प्लेटफॉर्म वनियमन: कोरिया का अग्रणी ऐप स्टोर वनियमन (वैकल्पिक भुगतान प्रणालयिों को अनविर्य करने वाला पहला) और सुदृढ़ डेटा संरक्षण संरचना मूल्यवान सीख प्रदान करती है।
- एस्टोनिया - डजिटल सरकार: एस्टोनिया का व्यापक ई-गवर्नेंस संरचना, जसिमें 99% सार्वजनिक सेवाएँ ऑनलाइन हैं, प्रभावी डजिटल परिवर्तन को दर्शाता है।
- जापान - डजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शति: जापान का पारदर्शति अधनियम प्रमुख डजिटल प्लेटफॉर्मों के लयि नषिपक्ष व्यावसायिक प्रथाओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर केंद्रित है।

भारत के तकनीकी नयामक संरचना को बढ़ाने के लयि क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- एकीकृत डजिटल वनियामक प्राधिकरण: एक केंद्रीकृत वनियामक नकिया के नरिमाण से डजिटल सेवाओं और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों की वर्तमान खंडति नगिरानी सुव्यवस्थति हो सकेगी।
 - इस प्राधिकरण को डजिटल डोमेन में सुसंगत वनियमन प्रदान करने के लयि CCI, TRAI, CERT-In और अन्य प्रासंगिक नकियायों की वशिषज्जता को एकीकृत कयि जाना चाहयि।
 - UDRA तकनीकी कंपनयिों के लयि एकल खडिकी अनुमोदन प्रणाली स्थापति कर सकता है, जसिसे अनुपालन बोझ कम होगा तथा न्यायमूर्तता बी.एन. श्रीकृष्ण समति की सफारशों के आधार पर व्यापक नगिरानी सुनश्चिति होगी।
 - प्राधिकरण को RBI के समान स्वायत्त दर्जा दयि जाना चाहयि जसिमें तकनीकी वशिषज्ज AI, डेटा संरक्षण, प्लेटफॉर्म गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा के लयि वशिष प्रभागों का नेतृत्व करेंगे।
- स्तरीकृत अनुपालन संरचना: आकार-आधारित वनियामक दृष्टिकोण, जहाँ प्लेटफॉर्म पैमाने और बाज़ार प्रभाव के साथ दायित्वों में वृद्धि होती है, नवाचार को नरिीक्षण के साथ संतुलित करेगा।
 - स्टार्ट-अप्स और छोटे प्लेटफॉर्मों को न्यूनतम अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा, जबकि महत्त्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों को अनविर्य ऑडिट एवं पारदर्शति रिपोर्ट सहति बढ़ी हुई ज़मिमेदारयिों दी जाएंगी।
 - इस संरचना में उपयोगकर्त्ता आधार, राजस्व और बाज़ार प्रभाव के आधार पर स्पष्ट सीमाएँ शामिल होनी चाहयि तथा प्रत्येक स्तर पर वशिषिट अनुपालन आवश्यकताएँ होनी चाहयि।
- अनविर्य अंतर-संचालनीयता मानक: डजिटल प्लेटफॉर्मों के लयि अंतर-संचालनीयता मानकों को वकिसति करने और लागू करने से एकाधिकार नयित्रण कम होगा और प्रतस्पर्द्धा बढ़ेगी।
 - मैसेजगि, सोशल मीडिया और डजिटल भुगतान जैसी प्रमुख सेवाओं को डेटा पोर्टेबलिटि तथा क्राँस-प्लेटफॉर्म कार्यक्षमता का समर्थन करना आवश्यक होना चाहयि।
 - मानकों को बहु-हतिधारक परामर्श के माध्यम से वकिसति कयि जाना चाहयि जसिमें स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा और तकनीकी वनिरिदेश शामिल हों। इसमें डेटा एक्सचेंज के लयि अनविर्य API और क्राँस-प्लेटफॉर्म संचार के लयि सामान्य प्रोटोकॉल शामिल होंगे।
- कषेत्रीय डजिटल नवाचार कषेत्र: सरलीकृत वनियमों और बुनयादी अवसंरचना के समर्थन के साथ टयिर-2 व टयिर-3 शहरों में वशिष प्रौद्योगिकी कषेत्रों की स्थापना की जानी चाहयि, ताकि समान डजिटल वकिस सुनश्चिति करने के लयि ज़िला वकिस योजनाओं से जुड़े वकिएद्रीकृत नवाचार कषेत्र बनाए जा सकें।
 - इन कषेत्रों को कर प्रोत्साहन, उच्च गति कनेक्टविटि और नई प्रौद्योगिकयिों और व्यापार मॉडलों के परीक्षण के लयि नयामक सैंडबॉक्स प्रदान करना चाहयि।
 - ये कषेत्र AI, IoT या ब्लॉकचेन जैसे वशिषिट तकनीकी डोमेन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जसिसे कषेत्रों में वशिष पारस्थितिकी तंत्र का नरिमाण हो सकता है। उद्योग-अकादमिक अंतर को कम करने के लयि स्थानीय वशिषवदियालयों को इन कषेत्रों में एकीकृत कयि जाना चाहयि।
- डजिटल साक्षरता और कौशल वकिस संरचना: मानकीकृत प्रमाणन और उद्योग मान्यता के साथ एक राष्ट्रव्यापी डजिटल कौशल कार्यक्रम बनाने से प्रौद्योगिकी प्रतभिा अंतर को दूर कयि जा सकेगा।
 - इस संरचना में उद्योग जगत के अग्रणी लोगों के साथ साझेदारी में ऑनलाइन शकिक्षण प्लेटफॉर्मों को व्यावहारिक प्रशकिक्षण केंद्रों के साथ जोड़ा जाना चाहयि।
 - अनविर्य डजिटल साक्षरता मॉड्यूल को स्कूल पाठ्यक्रम और वयस्क शकिक्षा कार्यक्रमों में एकीकृत कयि जाना चाहयि।
 - उभरती हुई प्रौद्योगिकयिों और उद्योग की ज़रूरतों के आधार पर नयिमति पाठ्यक्रम अपडेट पर वशिष ध्यान दयि जाना चाहयि।

रूपरेखा में ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के लिये लक्ष्यित कार्यक्रम शामिल होने चाहिये।

- **डेटा संरक्षण कार्यान्वयन कार्य बल: डेटा संरक्षण वनियमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये** एक समर्पित कार्य बल की स्थापना से प्रभावी प्रवर्तन और अनुपालन सहायता सुनिश्चित होगी।
 - व्यावहारिक कार्यान्वयन दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिये टास्क फोर्स में तकनीकी विशेषज्ञ, कानूनी पेशेवर और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होने चाहिये।
 - बहुत बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करने वाले संगठनों के लिये नियमित ऑडिट और अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य होनी चाहिये।
 - टास्क फोर्स को **डेटा संरक्षण अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करना चाहिये तथा प्रामाणिक पेशेवरों की एक सार्वजनिक रजिस्ट्री भी बनाए रखनी चाहिये।**
 - वित्त मंत्रालय और RBI द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया **डेटा सशक्तीकरण तथा संरक्षण आर्कटेक्चर (DEPA) तीसरे पक्ष के सहमति प्रबंधकों** के माध्यम से सुरक्षित, सहमति-आधारित डेटा साझाकरण को संभव बनाता है, जिससे डेटा शासन को बढ़ाया जा सकता है और यह एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
- **AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क: AI प्रणालियों के विकास, परीक्षण और तैनाती के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ एक व्यापक AI गवर्नेंस संरचना** विकसित करना महत्वपूर्ण है।
 - इस संरचना में **उच्च जोखिम वाले AI अनुप्रयोगों के लिये अनिवार्य प्रभाव आकलन** और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रयुक्त AI प्रणालियों के लिये प्रमाणन आवश्यकताएँ स्थापित की जानी चाहिये।
 - पक्षपात और नष्पक्षता के लिये AI सिस्टम का नियमित ऑडिट अनिवार्य होना चाहिये जिसके परिणामों की सार्वजनिक रिपोर्टिंग होनी चाहिये। संरचना में AI से **संबंधित घटनाओं के लिये स्पष्ट उत्तरदायित्व प्रावधान** और उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोगों के लिये अनिवार्य बीमा आवश्यकताएँ शामिल होनी चाहिये।
- **सीमा पार डेटा प्रवाह को सुसंगत बनाने के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग: राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय डेटा अंतरण के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल** स्थापित करने से वैश्विक डिजिटल व्यापार को सुवर्धित बनाया जा सकेगा।
 - प्रोटोकॉल में मानकीकृत डेटा वर्गीकरण प्रणालियाँ और विभिन्न डेटा श्रेणियों के लिये **वशिष्ट आवश्यकताएँ शामिल होनी चाहिये।**
 - **डेटा सुरक्षा मानकों की पारस्परिक मान्यता** के लिये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये। प्रोटोकॉल में सीमा पार डेटा उल्लंघनों तथा विवादों का समाधान करने के लिये आपातकालीन तंत्र शामिल होना चाहिये।
- **प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धा संवर्धन:** अनिवार्य ऐप स्टोर विकल्पों और **यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे भुगतान प्रणाली विकल्पों के माध्यम से डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने** के उपायों को लागू करना चाहिये, जिसने अंतर-संचालन को बढ़ावा देकर तथा फिनिटेक कंपनियों के लिये प्रवेश बाधाओं को कम करके भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है।
 - **छोटे व्यवसायों की सुरक्षा के लिये प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण और राजस्व साझेदारी** के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित किये जाने चाहिये।
 - उपायों में **रैंकिंग एल्गोरिदम का अनिवार्य प्रकटीकरण** और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिये स्पष्ट अपील तंत्र शामिल होना चाहिये।

नष्पक्षता:

भारत का तकनीकी परदृश्य संभावनाओं से भरपूर होने के बावजूद महत्वपूर्ण वनियामक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ नवाचार को संतुलित करने के लिये एक व्यापक तथा अनुकूल वनियामक संरचना आवश्यक है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखकर और भारतीय संदर्भ की वशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करके, भारत एक सुदृढ़ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बना सकता है जो नागरिकों को सशक्त बनाता है, नवाचार को बढ़ावा देता है तथा आर्थिक विकास को गति देता है।

???????? ???? ???? ????:

प्रश्न. भारत के प्रौद्योगिकी वनियामक में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण वनियामक जैसे वैश्विक मॉडल भारत के वनियामक संरचना को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????????:

प्रश्न 1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के

संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दधि राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

प्रश्न 3. भारतीय वधिान के प्रावधानों के अंतरगत उपभोक्ताओं के अधिकारों/वशिषाधिकार के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- 1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जाँच करने के लिये नमूने लेने का अधिकार है ।
- 2. उपभोक्ता यदा उपभोक्ता मंच में अपनी शकियात दर्ज करता है, तो उसे इसके लिये कोई फीस नहीं देनी होती ।
- 3. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शकियात दर्ज कर सकता है ।

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजयि । (2017)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-tech-regulatory-landscape>